न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 127/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/297**
दायर दिनांक :– 19.07.2024 **निर्णय दिनांक :– 21.04.2025**

1. रामूराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. हरखुदेवी पत्नी रामूराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. पानीदेवी पत्नी हड़मानराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. हड़मानराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. उगराराम पुत्र मेघवाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. बाबूराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. कमा पुत्री मेघाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम सह हिस्सेदारी का खेत खसरा नम्बर 424/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के सह हिस्सेदारी का खेत खसरा नम्बर 424/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि मौजा चिमाणा तहसील घंटियाली में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्जा काश्त भूमि के पूर्वी दिशा में चिपता सार्वजनिक रास्ता और उसके आगे पूर्वी दिशा में अप्रार्थीगण के सह हिस्सेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 424/3 सरहद चिमाणा में स्थित है, और प्रार्थीगण की काश्त भूमि के पश्चिम में राजकीय भूमि खसरा नम्बर 436/424 स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच में स्थित सार्वजनिक रास्ता पर कब्जा कर रखा है, और प्रार्थीगण को पश्चिमी दिशा में राजकीय भूमि की तरफ खिसका कर प्रार्थीगण की रास्ता के लगती संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण जबरन बलपूर्वक कानून हाथ में लेकर प्रार्थीगण की पूर्वी दिशा में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर कब्जा करना चाहते है। जिसका अप्रार्थीगण को

सहायक

कोई जायज एवं कानूनी हक हासिल नहीं है। प्रार्थीगण बाहुबल से अप्रार्थीगण को नाजायज कब्जा कर बेदखल करने से रोकने में सक्षम नहीं है। प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा संलग्न नजरी नक्शा मार्क ए. बी. सी. डी. अनुसार जारी करवाने का हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में के संबंध में प्रार्थीगण ने नजरी नक्शा अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है परन्तु खसरा नम्बर 424/3 व 436/2424 की तरमीम दुरूस्ती का प्रकरण अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)